22.8.25 प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी स.1 को स्थगन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्ति की प्रति पेश की। शामिल मिसल रहे। अप्रार्थी स.1 को रुक-रुक कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स.1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21/06/25 मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते